

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 320]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 26 जुलाई 2014—श्रावण 4, शक 1936

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2014

क्र. 84-वि.-निर्वा.-चार-2014-उपचुनाव-548.—भारत निर्वाचन आयोग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं :-

1. संख्या 100-मध्यप्रदेश-वि.स.-2-2014, दिनांक 26 जुलाई 2014
2. संख्या 100-मध्यप्रदेश-वि.स.-3-2014, दिनांक 26 जुलाई 2014
2. संख्या 100-मध्यप्रदेश-वि.स.-4-2014, दिनांक 26 जुलाई 2014

जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 26 जुलाई 2014—04 श्रावण, 1936 (शक)

अधिसूचना

100-म.प्र.-वि.स.-2-2014.—यतः, मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा में 94-बहोरीबंद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री प्रभात पान्डे (बड़े बब्बू) की मृत्यु के परिणामस्वरूप दिनांक 12 अप्रैल 2014 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः, इस प्रकार हुई रिक्त को भरने के प्रयोजन से उप निर्वाचन कराया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :—

(क) मध्यप्रदेश राज्य से उक्त 94—बहोरीबंद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तद्दीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 30 अगस्त 2014 (शनिवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(ख) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में :—

(क)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख	:	2 अगस्त 2014 (शनिवार)
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	:	4 अगस्त 2014 (सोमवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	:	6 अगस्त 2014 (बुधवार)
(घ)	वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा	:	21 अगस्त 2014 (बृहस्पतिवार)
(ङ)	वह तारीख, जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	:	30 अगस्त 2014 (शनिवार)

नियत करता है; और

(ग) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा.

आदेश से,
हस्ता./-
(बर्नार्ड जॉन)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 26th July 2014—4 Shravana, 1936 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100-MP-LA-2-2014.—WHEREAS, the seat of Shri Prabhat Pandey (Bade Babbu) in the Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh elected from 94—Bahoriband Assembly constituency has become vacant on 12th April, 2014 by reason of his death; and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-section (1) of Sections 150 and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby :—

(A) Calls upon the said 94—Bahoriband Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 30th August, 2014 (Saturday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election :—

- (a) the 2nd August 2014 (Saturday), as the last date for making nominations;
- (b) the 4th August 2014 ((Monday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 6th August 2014 (Wednesday) as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 21st August 2014 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;
- (e) the 30th August 2014 (Saturday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M. as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,

Sd./-
(BERNARD JOHN)
Secretary,

Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 26 जुलाई 2014—04 श्रावण, 1936 (शक)

अधिसूचना

100-म.प्र.-वि.स.-3-2014.—यतः, मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा में 92—विजयराघवगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री संजय पाठक के त्याग-पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 31 मार्च 2014 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :—

(क) मध्यप्रदेश राज्य से उक्त 92—विजयराघवगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 30 अगस्त 2014 (शनिवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(ख) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में :—

(क)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख	:	2 अगस्त 2014 (शनिवार)
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	:	4 अगस्त 2014 (सोमवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	:	6 अगस्त 2014 (बुधवार)
(घ)	वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा	:	21 अगस्त 2014 (बृहस्पतिवार)
(ङ)	वह तारीख, जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	:	30 अगस्त 2014 (शनिवार)

नियत करता है; और

- (ग) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा.

आदेश से,
हस्ता./-
(बर्नार्ड जॉन)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 26th July 2014—4 Shravana, 1936 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100-MP-LA-3-2014.—WHEREAS, the seat of Shri Sanjay Pathak in the Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh elected from **92—Vijayraghavgarh** Assembly constituency has become vacant on 31st March, 2014 by reason of his resignation : and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub section (1) of Section 150 and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby,—

- (A) Calls upon the said **92—Vijayraghavgarh** Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 30th August, 2014 (Saturday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- (B) Appoints, with respect to the said election :—
- (a) the 2nd August 2014 (Saturday), as the last date for making nominations;
- (b) the 4th August 2014 ((Monday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 6th August 2014 (Wednesday) as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 21st August 2014 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;
- (e) the 30th August 2014 (Saturday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M. as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./-
(BERNARD JOHN)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 26 जुलाई 2014—04 श्रावण, 1936 (शक)

अधिसूचना

100-म.प्र.-वि.स.-4-2014.—यतः, मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा में 166—आगर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री मनोहर ऊँटवाल के त्याग-पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 30 मई 2014 से स्थान रिक्त हो गया; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3. अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराओं 150, 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :—

(क) मध्यप्रदेश राज्य से उक्त 166—आगर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 30 अगस्त 2014 (शनिवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उक्त राज्य से संबंध रखने वाली अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित करें;

(ख) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में :—

(क)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख	:	02 अगस्त 2014 (शनिवार)
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	:	04 अगस्त 2014 (सोमवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	:	06 अगस्त 2014 (बुधवार)
(घ)	वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा	:	21 अगस्त 2014 (बृहस्पतिवार)
(ङ)	वह तारीख, जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	:	30 अगस्त 2014 (शनिवार)

नियत करता है; और

(ग) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विदिष्ट तारीख को मतदान होगा.

आदेश से,

हस्ता./-

(बर्नाड जॉन)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 26th July 2014—4 Shrawana, 1936 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100-MP-LA-4-2014.—WHEREAS, the seat of Shri Manohar Oontwal in the Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh elected from **166—Agar (SC)** Assembly constituency has become vacant on 30th May, 2014 by reason of his resignation : and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby,—

(A) Calls upon the said **166—Agar (SC)** Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 30th August 2014 (Saturday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person belonging to any of the Scheduled Castes of the State, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election :—

(a) the 2nd August 2014 (Saturday), as the last date for making nominations;

(b) the 4th August 2014 ((Monday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 6th August 2014 (Wednesday) as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 21st August 2014 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;

(e) the 30th August 2014 (Saturday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M. as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,

Sd./-
(BERNARD JOHN)
Secretary,

Election Commission of India.